न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-91RAAJodhpur2024-24RTA223 Ramrakh Vs Baburam etc
2024-25RAAJodhpur2024-15RTA223 Ramrakh Vs Baburam etc

रामरख पुत्र बादरराम जाति विश्नोई, निवासी—नोखड़ा गोदारा
तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. बाबुराम उर्फ बाबुलाल पुत्र बादरराम
2. प्रतापराम पुत्र सुराराम फौत के कायम मुकाम —
   2.1. दानाराम पुत्र प्रतापराम
   2.2. बुधराम पुत्र प्रतापराम
3. किसनाराम पुत्र बरसिंगाराम
4. हुकमाराम पुत्र बरसिंगाराम
5. अशोक गोदारा पुत्र बाबुलाल गोदारा
   जातियान विश्नोई, निवासीगण नोखड़ा गोदारा, तहसील फलोदी. जिला फलोदी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2023 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 19/2020 बाबुराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि

———————

(02)2024-35RAAJodhpur2024-15RTA223 Ramrakh Vs Baburam etc

रामरख पुत्र बादरराम जाति विश्नोई, निवासी—नोखड़ा गोदारा
तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. बाबुराम उर्फ बाबुलाल पुत्र बादरराम
2. प्रतापराम पुत्र सुराराम फौत के कायम मुकाम —
   2.1. दानाराम पुत्र प्रतापराम

2.2. बुधराम पुत्र प्रतापराम
3. किसनाराम पुत्र बरसिंगाराम
4. हुकमाराम पुत्र बरसिंगाराम
5. अशोक गोदारा पुत्र बाबुलाल गोदारा
   जातियान विश्नोई, निवासीगण नोखड़ा गोदारा, तहसील फलोदी. जिला फलोदी।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08 फरवरी 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 19/2020 बाबुराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बाबुलाल विष्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री राजेष कुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1, 2/2, 3 व 5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 19/2020 अनवान बाबुराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत क्रमषः दिनांक 23 फरवरी 2024 एवं दिनांक 09 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने अपील संख्या 24/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 13 रकबा 60 बीघा ग्राम नोखड़ा चारणान् तहसील फलोदी के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2023 पारित कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेष दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील संख्या 24/2024 प्रस्तुत की गई। तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद अंतिम रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08 फरवरी 2024 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील संख्या 15/2024 प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने एवं रेकर्ड पर आये दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी के जवाब को दिनाक 28.08.2023 को बंद कर दिया। इस कारण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिल सका। दिनांक 08.12.2023 को वकील वादी द्वारा साक्ष्य पेष नही करवाने का अंकन किया तथा वादी की साक्ष्य बंद कर दी गई, जिससे साबित होता है कि वादी द्वारा अपना वाद बिना साक्ष्य के ही निर्णित करवाया है। कानूनन वाद बिना साक्ष्य के निर्णित नहीं किया जा सकता है। वादी द्वारा अपना वाद साबित ही नही किया गया है, न ही वाद में विवाद बिन्दु कायम किये गये है, जिसका निस्तारण किये बिना ही आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है, जबकि विवादित बिन्दु को तय किये बिना वाद का निस्तारण नही किया जा सकता हैं। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अपीलार्थी अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका जिस कारण भी आलौच्य निर्णय व प्राथमिक डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री के द्वारा कब्जे अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस्

बंटवाडा जाने का आदेश पारित किया है जो आदेश नियम 18 से 21 की अवहेलना में पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। बंटवाडा प्रस्ताव पटवारी हल्का/भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। तहसीलदार द्वारा मात्र हस्ताक्षर किये गये है तथा मौके पर जाकर तैयार नही किया गया है तथा न ही पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है। इस तरह से नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा सड़क के हिस्से की कीमती भूमि को अपने पक्ष में रख लिया है तथा अपीलार्थी को सड़क से दूर हिस्सा दिया गया है जो बाजार मूल्य के अनुसार नही है तथा नियमानुसार नही है। अपीलार्थी द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात मुख्य रूप से आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिसमें तथ्य अंकित किये थे कि बंटवाडा प्रस्ताव अपीलार्थी की अनुपस्थिति में व बिना नोटिस जारी किये तैयार किया है तथा विभाजन प्रस्ताव में मौके व निवास ढाणियों की अनदेखी की गई है। अपीलांट द्वारा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में दुबारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण दिये अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही अंतिम निर्णय पारित किया है। साथ ही वारिसान् को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किये जाने के बाद वारिसानों को नोटिस जारी ही नही किये गये है। इससे भी साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

अपील संख्या 24/2024 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.02.2024 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अपीलार्थी को प्राथमिक डिकी की अपील की भी विधिक राय दी गई, जिस पर अपीलार्थी अपने गांव गया तथा निर्णय व डिक्री की नकल लेकर दिनांक 21.02.2024 को जोधपुर आया तथा अधिवक्ता को नकले देकर अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता द्वारा अपील तैयार कर माननीय न्यायालय में अंदर म्यार प्रस्तुत की गई है। अपील किसी अनुचित लाभ हेतु देरी से प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील संख्या 24/2024 अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर दोनो अपीले गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 19/2020 अनवान बाबुराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08 फरवरी 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिषा निर्देषों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में जो आधार वर्णित किये गये है, तमाम आधार पत्रावली मे आये तथ्यों के विपरीत मनमाने ढंग से लिख कर पेश किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब प्रस्तुति के पर्याप्त अवसर प्रदान किय जाने के बावजूद भी उसकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नहीं की गई है। इस संबंध में निवेदन है कि जब किसी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया गया तो तनकीयात विरचित करने का प्रष्न ही नही उठता है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करते समय पक्षकारान् के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है तथा बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देष दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट्स के कब्जे काष्त की भूमि को उनके हिस्से में ही रखा गया है तथा उनके नाम दर्ज रकबे में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकारान् को सड़क पर समान अनुपात में भूमि प्रदान की गई है तथा सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा मामले में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई उज्र नहीं उठाया गया है तथा न ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये उनके हक– अधिकारों पर

किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े जाने का प्रष्न उठाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की जानकारी होने के बावजूद अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने के बाद प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स को परेषान एवं हैरान करने की नियत से हस्तगत अपीले प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 13 रकबा 60 बीघा एवं खसरा नंबर 18 रकबा 37.08 बीघा ग्राम नोखड़ा भाटियान् में जमाबंदी में दर्ज हक–हिस्से अनुसार नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देष दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये अपीलांट के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया जाना नहीं पाया जाता है तथा न ही अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र उठाये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22 जनवरी 2024 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार फलोदी द्वारा राजस्थान काष्तकारी अधिनियम

1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर खसरा नं. खसरा नं. 13 एवं 18 का विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नं. 13 व 18 में सभी पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सड़क पर आनुपातिक रूप से बराबर भूमि दिया जाना पाया जाता है विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में केवल तकनीकी बिंदु उठाये गये है। मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार का ठोस एजराज नहीं उठाये गये है। इस संबंध में धारा 227 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के मुताबिक **No decree or order to be reversed or modified for error or irregularity** — No decree or order shall be reversed or substantially varied, nor shall any case be remanded in appeal, on appeal, on account of any mis-joinder of parties or causes of action or any error or irregularity in any proceedings, not affecting the merits of the case. धारा 227 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 के परिप्रेक्ष्य में मामला गुणावगण पर मजबूत होने पर उसे तकनीकी आधार पर उपांतरित अथवा उल्टा नहीं जा सकता है। हस्तगत मामले में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 19/2020 अनवान बाबुराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22 दिसंबर 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08 फरवरी 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर